(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 158/2015

बउनवान

छीतरलाल आयु 63 वर्ष पुत्र श्री कान्हा उर्फ कन्हैयालाल जाति माली निवासी कवाई तह0 अटरू जिला बारां।

(अपीलांट)

बनाम

1– गिरिराज माहेश्वरी आयु 35 वर्ष पुत्र श्री सत्यनारायण जाति महाजन निवासी छबडा
2– मो. पयाम आयु 43 वर्ष पुत्र श्री मुर्तुजा खा जाति मुसलमान निवासी छबडा तह0 छबडा
3– नरेश कुमार अदलक्खा आयु 51 वर्ष पुत्र श्री फतेहचन्द जाति पंजाबी निवासी छबडा
4– परमानन्द आयु 43 वर्ष पुत्र श्री प्रभुलाल जाति तेली निवासी छबडा
5– मनीष गर्ग आयु 34 वर्ष पुत्र राधेश्याम जाति महाजन निवासी छबडा
6– राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार कवाई तहसील अटरू जिला बारां

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध नायब तहसीलदार कवाई द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 1393 दि. 24.04.2014 अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :– 1. श्री रधुवीर प्रसाद मीणा अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री घनश्याम गर्ग अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 24.07.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 1393 दिनांक 24.04.2014 वाके ग्राम कवाई से अप्रसन्न होकर विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 11.08.2015 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई से मूल इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपी इस न्यायालय को प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्टगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रकरण मे सर्व प्रथम लिमिटेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे विस्तृत बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांट व सहखातेदारान की ग्राम कवाई तह0 अटरू में खाता संख्या 170 से खसरा नं0 261 रकबा 2.55 हेक्टर स्थित है। जो शामलाती खाते में दर्ज थी, जिसमें अपीलान्ट का हिस्सा 3/8 एवं सहखातेदारान गायत्री बाई व गुडडी बाई का हिस्सा 1/8 एवं रामचन्दी का हिस्सा 1/4 दर्ज था। अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारान को रूपयों की आवश्यकता होने

पर उक्त वर्णित आराजीयात में से 4 बीघा आराजी पूर्वी दिशा की ओर रोड की साइड की भूमि छोडकर 17,00,000/—रू0 अक्षरे सत्तरह लाख रू0 प्रतिबीघा के हिसाब से 68,00,000/— रू0 अक्षरे अडसठ लाख रूपये में रेस्पोडेन्ट क्रम 3 नरेश कुमार अदलक्खा व रेस्पो0 क्रम 5 मनीष गर्ग को बेचान करने का इकरार किया था तथा रूबरू गवाहान साई पेटे 10,00,000/—रू अक्षरे दस लाख रूपये नकद प्राप्त कर लिये थे तथा बेचान की शेष राशि 58,00,000/— रू अक्षरे अट्ठावन लाख रू0 वक्त रजिस्ट्री अदा करने का इकरार किया था।

यह कि रेस्पोडेन्ट ने वक्त रजिस्ट्री कहा की हमारे इनकम टेक्स लगेगा, इसलिए प्रत्येक रजिस्ट्री में 4,75,000/—रू0 अक्षरे चाल लाख पिच्चेहत्तर हजार रू0 लिखवाये व 4 व्यक्तियों की जगह 5 व्यक्तियों के नाम रजिस्ट्री करवाई थी। चन्दाबाई महाजन के खेत से पूर्व दिशा की ओर सडक के सामने की छोडकर रजिस्ट्री में अंकित करवायी थी। रजिस्ट्री के मुताबिक रेस्पोडेन्ट को चन्दाबाई महाजन के खेत से पूर्व दिशा का आराजी का पंजीयन करवाया था, जिसकी पुष्टि हेतु रजिस्ट्री की छायाप्रति प्रस्तुत अपील मे संलग्न है। लेकिन रेस्पोडेन्ट ने पटवारी हल्का से मिलीभगत करके बाबूलाल सुमन के खेत के पश्चिम दिशा की ओर की भूमि का इंतकाल नं0 1393 दिनांक 24.04.2014 खोला गया है जो विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 1393 दिनांक 24.04.2014 नायब तहसीलदार कवाई को निरस्त फरमाया जाकर रजिस्ट्री अनुसार बतायी गयी भूमि का इंतकाल पुनः खोले जाने के आदेश प्रदान करे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि नायब तहसीलदार कवाई द्वारा तस्दीक किया गया इंतकाल 1393 दिनांक 24.04.2014 उपलब्ध रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर पूर्ण अवलोकन किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर खोला गया है। जिसमे किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। अपीलांट द्वारा सहखातेदारी की भूमि होते हुये भी सभी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया गया है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकारान की बहस सुनी उस पर मनन किया पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 1393 दिनांक 24.04.2014 वाके ग्राम कवाई तहसील अटरू तस्दीक किया गया है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। उक्त इंतकाल अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण के मध्य आपसी सहमति के आधार पर खोला गया है। अपीलांट और रेस्पोडेन्टगण के मध्य आपसी सहमति के संबंध मे विभाजन प्रस्ताव, अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कोई लिखित/हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज इस न्यायालय मे प्रस्तुत करने मे विफल रहे है, जिससे यह साबित हो सके कि अपीलांट की सहमति मे बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इंतकाल तस्दीक किया गया है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय मे तथ्य छिपाऐ गये है। इस न्यायालय मे स्वच्छ हाथो से नही आऐ है। चूंकि वादी अपने वाद का स्वामी होता है। अतः अपीलांट के विद्वान अभिभाषक प्रस्तुत अपील की ताईद मे अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई के समक्ष प्रस्तुत सहखातेदारानो की आपसी सहमति की की प्रति अथवा कोई भी विधिक तथ्य प्रस्तुत करने मे विफल रहने के कारण अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा खोले गये इंतकाल मे हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। यदि अपीलांट असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.08.06 16:45:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: